

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/1/19	<p>परिवादी की ओर से अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अप्रार्थी स्वयं मय अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित। यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी <del>बाडमेर</del> <sup>जोधपुर</sup> द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म/प्रतिष्ठान पर निरीक्षण दिनांक 14.10.2017 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ मावा को मिलावट/अवमानक स्तर का होने के शक पर नियमानुसार 01 कि.ग्रा. मावा वास्ते नमूना संख्या एडी-669 खरीद कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्राप्त किया एवं प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ मावा का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मावा का नमूना अवमानक ( Substandard ) का होना पाया जाने की रिपोर्ट फॉर्म-बी दिनांक 08.11.2017 प्राप्त होने पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(i) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।</p> <p>अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उसका यह प्रथम अपराध है तथा इसकी वह पुनरावृत्ति नहीं करेंगा एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह जुर्म स्वीकार कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण मे माफी प्रदान की जावे।</p> <p>प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है, किन्तु अप्रार्थी ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करते हुए भविष्य मे इस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने का वचन दिया है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध इस प्रथम अपराध प्रकरण मे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कारित अपराध के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत रुपये 2500/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।</p>	

न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर